(१९१)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 8–2/2013/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 01 नवम्बर, 2013

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त संभागायुक्त,
4. समस्त कलेक्टर,
5. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर,
6. संचालक, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल.

विषयः–निःशक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में 6 प्रतिशत आरक्षण का पालन सुनिश्चित करने बाबत्।

संदर्भः–(1) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्र. एफ 8–1/2011/आप्र/एक, दि. 14.02.2011,

(2) सामाजिक न्याय विभाग का परिपत्र क्र. एफ 2–13/2011/26–1, दि. 08.10.2012 .

—0—

उपरोक्त विषयक संदर्भित परिपत्र क्रमांक 1 में निःशक्तजनों के आरक्षण का पालन सुनिश्चित करने के साथ ही मांग पत्र भेजते समय तथा निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत होरिजेण्टल आरक्षण की गणना कर आरक्षित पद स्पष्ट रूप से विज्ञापन में दर्शाये जाने के निर्देश जारी किये गये है। साथ ही संदर्भित ज्ञाप क्रमांक 2 द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी संवर्ग में किसी आरक्षित श्रेणी से छूट प्रदान की गई है तो ऐसी स्थिति में मांग पत्र भेजते समय **"यह संवर्ग निःशक्तजनों के लिए चिन्हित नहीं है"** टीप अंकित की जाए।

2/ उपरोक्त निर्देशों के बाद भी विभागों द्वारा भेजे जाने वाले मांग पत्र में तथा लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किये गये विज्ञापनों में निःशक्तजनों के लिए पदों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता है और न ही कोई टीप अंकित की जाती है, जिससे न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति बनती है।

3/ अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि म.प्र. लोक सेवा आयोग अथवा म.प्र. व्यावसायिक पराक्षा मण्डल को मांग पत्र भेजते समय निःशक्तजनों के श्रेणीवार रिक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। यदि संबंधित संवर्ग का पद निःशक्तजनों के लिए चिन्हित नहीं है तो उसके सामने स्पष्ट टीप अंकित की जाए।

4/ म.प्र. लोक सेवा आयोग तथा म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विज्ञापन की पूर्ण पूर्ति कराने के बाद ही विज्ञापन जारी करें। यदि अपूर्ण विज्ञापन भविष्य में जारी होते हैं तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागों अथवा संबंधित चयन संस्थाओं का होगा।

5/ उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(के. सुरेश) 1/11/2013
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठां क्रमांक एफ 8—2/2013/आप्र/एक, भोपाल, दिनांक 01 नवम्बर, 2013

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
7. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
9. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर.के गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग